भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1013

उत्तर देने की तारीखः 09.03.201**7**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए फीस

1013. श्री के॰ आर॰ अर्जुननः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विदेशी पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को फीस में कोई सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय किया है**;

**(ख) क्या ऐसे छात्र मामला-दर-मामला आधार पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् या संस्थागत निधियन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां प्राप्त कर सकते हैं**;

**(ग) क्या सरकार द्वारा विदेशी छात्रों के लिए फीस संरचना की जांच करने के लिए गठित समिति का कहना था कि ऐसे छात्रों से भारतीय छात्रों के बराबर फीस ली जाएगी**; **और**

**(घ) यदि हां**, **तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (घ): जी, हां। जेईई (एडवांसड) परीक्षा को उत्तीर्ण कर आईआईटी में सीट पाने वाले विदेशी छात्र, भारतीय छात्रों के लिए अभी उपलब्ध, सब्सिडाइज्ड शुल्क के पात्र नहीं होंगे। तथापि, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) को मामला-दर-मामला आधार पर पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

\*\*\*\*\*